

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: स.27(3)(4)पदो./अभि./24/

आदेश

जयपुर ,दिनांक :—

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (Pay Matrix L-11) के पद पर वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता—सह—योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र0स0	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
1.	श्री रविन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री चन्द्रशेखर	UR	01.04.2024

उपरोक्त चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है किन्तु पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगे।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
4. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
5. सम्बंधित अधिकारी.....द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर